



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून-248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

उविनिआ/1/प्रशा0/86(i)/2016-17/438

दिनांक: 14 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों को मान्यता प्रदान करते हुए पैनेल में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इन चिकित्सा संस्थानों की अद्यतन सूची निम्नानुसार है:-

क्र0 स0	चिकित्सा संस्थान	चिकित्सा दरों में छूट (%में)	दूरभाष
1.	कम्बाइन्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूट, 54-हरिद्वार रोड़, देहरादून।	15%	0135-2720238 0135-2720411
2.	श्री गुरुराम राय इन्सट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइन्स, श्री महन्त इन्द्रेण हॉस्पिटल, पटेलनगर, देहरादून।	10%	0135-2728106
3.	एम0के0 सर्जिकल अस्पताल एण्ड यूरोलॉजी सेन्टर, कान्चेट रोड़, देहरादून।	15%	0135-2652798
4.	लाइफ लाईन हॉस्पिटल एण्ड यूरोलॉजी इन्सट्यूट, 98/18 प्रगति विहार, धर्मपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	15%	0135-2671780
5.	आस्था हॉस्पिटल (अग्रवाल क्लीनिक), 2/1 बल्लूपुर चौक, देहरादून।	15%	0135-2764413
6.	रेवती पॉलीक्लीनिक एण्ड नर्सिंग होम, 94-धर्मपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	15%	0135-2679870
7.	दून एम0आर0आई, स्कैन सेन्टर, 79-राजपुर रोड़, देहरादून।	15%	0135-2743992
8.	मै0 प्रेमसुख अस्पताल एण्ड डायलेसिस सेन्टर, पी.डी. टण्डन मार्ग, लक्ष्मण चौक, देहरादून।	30%	0135-2623775, 0135-2624106
9.	मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मालसी, मसूरी डायवर्जन रोड़, देहरादून।	15%	0135-2673000
10.	मै0 दृष्टि आई सेन्टर, 16-सुभाष रोड़, नियर पैसिफिक होटल, देहरादून।	15%	0135-2717500 0135-2717505
11.	अमृतसर आई क्लीनिक, 122/1 ई.सी. रोड़, डालनवाला, देहरादून।	15%	0135-2652585
12.	सिंह आई हॉस्पिटल, 230 माडल कॉलोनी, आराधर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	10%	0135-2672863
13.	नव ज्योति नेत्र चिकित्सालय एण्ड वेब लेसिक सेन्टर, नेहरू कॉलोनी, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	5%	0135-2672302
14.	पाटिल डेन्टल क्लीनिक, बल्लूपुर रोड़, देहरादून।	15%	0135-2755796
15.	मुकेश डांडा, डेन्टल अस्पताल, 27-सी0 चकराता रोड़, देहरादून।	15%	0135-2654445
16.	रस्तोगी डेन्टल क्लीनिक, शॉप नं0-04 चाणक्य टॉवर, दिलाराम बाजार, देहरादून।	15%	0135-2741066
17.	देहरादून डेन्टल सेन्टर, 41 आम बाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।	15%	0135-2752300
18.	शर्मा डेन्टल केयर एण्ड ट्रामा सेन्टर, ई0सी0 रोड़, देहरादून।	15%	0135-2714652
19.	आर्थो केयर डेन्टल स्पेशियलिटी सेन्टर, शिवकृपा कॉम्प्लेक्स, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।	15%	0135-2620438
20.	डेन्टल केयर एण्ड इम्प्लांट सेन्टर, 18 मीडो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सहारनपुर रोड़, देहरादून।	20%	0135-2723155
21.	बृजलाल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा0लि0, आनन्दी टॉवर, नैनीताल हाइवे हल्द्वानी, हल्द्वानी।	15%	05946-284816
22.	कृष्णा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 3-136, गुरुनानक पुरा, हल्द्वानी।	15%	05946-222426

23.	मेडान्टा द मेडिसीटी हॉस्पिटल, सेक्टर 38, गुडगांव।	15%	0124-4141414
24.	सिनर्जी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, बल्लूपुर कैनाल रोड, देहरादून।	10 to 15 %	0135-2226000 0135-2226100
25.	कनिष्क, सर्जिकल एवं सुपर स्पेसिलिटी हास्पिटल, हरिद्वार बाय-पास रोड, देहरादून।	10 to 15%	0135-2670040 0135-2670050
26.	लूथरा मेटर्नटी एवं इन्फर्टिलिटी सेन्टर, 58 चकराता रोड, देहरादून।	15%	0135-2531354 0135-2531729
27.	थापर स्पेशियलिटी डेण्टल केयर, 41/1, बल्लूपुर रोड, निकट-आईएमए ब्लड बैंक, देहरादून	10%	97563 33357/ 97563 33358
28.	आर्युमैक्स, मल्टी स्पेशिलिटी आर्युवैद हास्पिटल एवं पंचकर्मा सेन्टर, 82-बल्लीवाला चौक, विवके विहार, पॉकेट-3, देहरादून।	20% & 5% in Medicine	0135-2531182 88999 91234

उपरोक्त कम संख्या-01 से 27 में उल्लेखित चिकित्सक संस्थानों में चिकित्सा दरों के अंतर्गत छूट उसी दर पर अनुमन्य है, जिस दर पर यूपीसीएल के अधिकारियों/कार्मिकों के चिकित्सा उपचार हेतु अनुमन्य है। निर्धारित छूट के उपरान्त चिकित्सा संस्थानों को संबंधित अधिकारी/कार्मिक द्वारा सीधे भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए चिकित्सा बीजकों के भुगतान की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

राज्य अथवा राज्य से बाहर के गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराए जाने पर वास्तविक व्यय की 70% धनराशि अनुमन्य होगी। इस हेतु राज्य के लिए कम्बाइन्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूट (CMI) की दरों एवं राज्य से बाहर के लिए उस शहर के अस्पताल के CGHS की दरों को आधार मानकर वास्तविक व्यय के 70% धनराशि दोनों में जो कम होगा, अनुमन्य एवं प्रतिपूर्ति योग्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आयोग के कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवार जनों के चिकित्सा उपचार हेतु भर्ती की दशा में वार्ड अनुमन्यता की सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्र०सं०	ग्रेड-पे	वार्ड अनुमन्यता
1.	Upto GP ₹2400	जनरल वार्ड
2.	Above ₹2400 to below GP ₹5400	सेमी प्राईवेट वार्ड
3.	GP ₹5400 TO GP ₹8700	प्राईवेट वार्ड
4.	GP ₹ 8900 & ABOVE	एक्जिक्यूटिव/डीलक्स कक्ष

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा संजय गॉंधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान लखनऊ में उपचार कराए जाने पर आने वाले व्यय की वास्तविक धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य करायी जाएगी।

(नीरज सती)
सचिव

उविनिआ/1/प्रशा0/86(i)/2016-17/.../तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष तथा वैयक्तिक सहायक, मा0 सदस्य (वित्त)/मा0 सदस्य (तकनीकी) को मा0 आयोग के संज्ञान हेतु।
2. समस्त अधिकारी/कार्मिक, उविनिआ, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त)/सहायक निदेशक (प्रशासन)/लेखाधिकारी, उविनिआ, देहरादून।
4. उप निदेशक (आई0टी0) को आयोग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

(नीरज सती)
सचिव